राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1101/2024 श्रीराम बनाम चावली हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08/06/2017 पारित करते हुए रास्ते की समस्या को मध्यनजर रखते हुए एवं बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30/11/2022 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एव रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की और से प्रस्तुत आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का परिक्षण समुचित रूप से किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/11/2022 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	